न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 20 / 2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 10.03.2026

निर्णय दिनांक : 04.05.2026

उनवान

1. बलवीर पुत्र भरथा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र बीरबल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
2. सरती पुत्री बीरबल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
3. भरपाई पुत्री बीरबल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
4. निहाला पुत्री बीरबल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
5. बिमला पुत्री बीरबल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
6. बनारसी देवी पत्नी छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
7. किशनलाल पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
8. तेजपाल पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
9. भीमसिह पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
10. कृष्णा पुत्री छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
11. मुनेश पुत्री छाजूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
12. मामचन्द पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
13. सत्यनारायण पुत्र स्व० लिक्षमाराम पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
14. सुमन पुत्री स्व० लिक्षमाराम पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
15. मेवा पत्नी स्व० लिक्षमाराम पुत्र सूरजभान जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
16. उपखण्ड अधिकारी महोदय बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. वकील श्री अनूप शर्मा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रकरण संख्या 113 / 2009 उनवानी प्रकरण बीरबल व अन्य बनाम पालाराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। वकील उभय पक्षकारान ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 16 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष एक वाद प्रार्थी / प्रतिवादी व अन्य के खिलाफ राजस्व वाद पेश किया हुआ

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी वादीगण से साजबाज हो गये है तथा पूरी तरह से उनके प्रभाव में है जिस कारण से उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से नजदीक तारीख पेशी नियत कर रहे है तथा उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के खिलाफ करना चाहते है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी इस कदर वादीगण से मिल गये है कि प्रार्थी ने वादीगण व उनके लोगो को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते व बातचीत करते हुये देखा है। गत तारीख पेशी पर भी अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे हुये उनसे वार्तालाप कर रहे थे। प्रार्थी के वकील साहब ने पीठासीन अधिकारी से नजदीक पेशी नियत न किये जाने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं तो जल्दी ही मुकदमा का निस्तारण वादीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में करूंगा। दिनांक 05.03.2026 को भी वादीगण/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 ने गांव में ऐलानिया कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है तथा वे मुकदमा का फैसला हमारे हक में कर देगें व जल्द ही लठ के बल पर कब्जा करके रहेगें। उक्त कारण से प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष कार्यवाही व न्याय की उम्मीद नहीं रही है जिस कारण से उक्त प्रकरण को किसी दीगर अदालत में मुंतकिल किया जाना आवश्यक है।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अनुवानी प्रकरण को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

5. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी द्वारा मनगढंत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन पत्रावली वास्ते जवाब व तलवी हेतु नियत है इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन उपरोक्त पत्रावली में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नही होता है। स्वयं वादी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तामील नही करवा रहे है एवं प्रकरण को विलंब करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को महज अनावश्यक देरी करने की मंशा से गलत तथ्यों के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

6. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में विचारधीन वाद को अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विचारधीन वाद वास्ते गौर तलबी लंबित है ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विचारधीन वाद में किसी प्रकार का अनुचित आदेश जारी किया जाना नहीं पाया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अर्पणा गुप्ता)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़